PDF.js viewer
SE1-1/101/19/2024-XXIV-B-1-Secondary Education Department

संख्या : 358657 /XXIV-B-1/2025/01(42)/2024

प्रेषक,

एम0एम0 सोमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–01 देहरादूनः दिनांकः 05 जनवरी, 2026

विषयः–माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों द्वारा विभागान्तर्गत की गयी तदर्थ सेवाओं की गणना चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु किया जाना।

महोदया,

अवगत कराना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विनियमितीकरण होने पर तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुये चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1026/XXIV–नवसृजित/17–15(01)/2009, दिनांक 08.12.2017 द्वारा यह निर्देश निर्गत किए गये है कि तदर्थ सेवाओं को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन/चयन/प्रोन्नत वेतनमान हेतु गणना में लिये जाने की व्यवस्था वित्तीय नियमों में नहीं है।

2– तत्क्रम में उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा निर्गत निर्देशों के कम में विभाग द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विनियमितीकरण होने पर तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुये चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता सम्बन्धी आदेशों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की गयी।

3– शासनादेश संख्या–1026/XXIV–नवसृजित/17–15(01)/2009, दिनांक 08.12.2017 एवं तत्क्रम में विभाग द्वारा निर्गत आदेशों को निरस्त किए जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिका संख्या– 2602/एस0एस0/2019 दिनेश सिंह व अन्य बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 में याचीगण शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं (adhoc services) को जोड़ते हुए चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने के आदेश दिए गए हैं। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है :–

10. In that eventuality, the impugned orders of denying the selection grade to the petitioners' cannot be sustained. The orders are hereby quashed. Since this Court is of the considered view that the petitioners claim for the grant of the selection grade stood matured w.e.f. 31.01.2006, in the light of the Government Order dated 12th July, 2002, the period of 10 years for the purposes of grant of selection grade on ten years of services as provided under Clause (1) of the Government Order dated 12th July, 2002, has to be calculated in relation to the petitioners w.e.f. 31.01.2006, and not w.e.f. 28.12.2013, i.e. the date of the regularization of the petitioners as it has been contended by the respondents.

11. For the aforesaid reasons, the writ petitions are allowed. The impugned orders are quashed. A writ of mandamus is issued to the respondents to consider and grant the selection grade to the petitioners in the light of the Government Order dated 12th July, 2002, after reckoning the period of satisfactory services rendered by them from the date of the grant of adhoc appointment when the "Sadharan Vetanmaan" was made payable, which will fall to be within the ambit of the zone of consideration under Clause (1) of the Government Order dated 12th July, 2002.

12. Accordingly, the writ petitions are allowed, subject to the aforesaid observations.

4— मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित विशेष अपील संख्या 223/2022 को मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय दि0 28.02.2024 द्वारा dismiss कर दिया गया। विशेष अपील में पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.02.2024 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 59891/2024, उत्तराखण्ड राज्य बनाम दिनेश सिंह योजित की गई, जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2025 को निम्नलिखित निर्णय के साथ dismiss कर दिया गया है :—

Delay Condoned.

We see no reason and ground to interfere with the impugned order passed by the High Court. Accordingly, the Special Leave Petitions are dismissed.

Pending applications, if any, stand disposed of.

5— मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से उपरोक्त सन्दर्भित विशेष अनुज्ञा याचिका

dismiss हो जाने के फलस्वरूप रिट याचिका संख्या– 2602/एस0एस0/2019 दिनेश सिंह व अन्य बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 प्रभावी हो गया है, जिसमें याचीगण की तदर्थ सेवाओं की गणना चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

6– अतः उपरोक्त प्रस्तरों में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एल0टी0) एवं प्रवक्ता पद पर कार्यरत शिक्षकों द्वारा विभागान्तर्गत की गई तदर्थ सेवाओं की गणना चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु किए जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अनुमति को अन्य विभागों के लिए पूर्व दृष्टान्त नहीं माना जाएगा।

भवदीय,

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 05-01-2026
16:21:44

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या– 358657 (1)/XXIV–B–1/25/01(42)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
7. समस्त जिला कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Ashutosh Shukla
Date: 05-01-2026
17:38:11

आज्ञा से,

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।